

अंकित सिंह बनाम रामजीलाल वगै०
दावा मु० न० 114/2017

23/5/25



पत्रावली पेश हुई। वकूलाय अनुपस्थित। प्रकरण में सुनवाई हेतु बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद बार-बार आवाज लगाने पर वकूलाय अथवा पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नौमकाथाना (सीकर)